



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102023-249820
CG-DL-E-31102023-249820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945

No. 633]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 813(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्ताईसवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962, के परिशिष्ट-2 के प्ररूप आईटीआर 7 के भाग (ख) में, 1 अप्रैल, 2023 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए—

(क) भाग वी – टीआई, भाग वी1, में क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“16	धारा 115 खखझ के अधीन प्रभार्य विनिर्दिष्ट आय, 13 में सम्मिलित, @ 30% से कराधेय की जानी है (अनुसूची 115 खखझ का क्र.सं. 7)	16	
17	सामान्य दरों पर कराधेय की जाने वाली कुल आय (13-14-15-16) (धारा 115 खखझ के	17”;	

	अधीन विनिर्दिष्ट आय से भिन्न आय सम्मिलित)		
--	--	--	--

(ख) भाग बी-टीआई में क्रम संख्यांक-1 के सामने उससे संबंधित मद क और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“क	[भाग बी-टीआई के भाग बी1 का क्र.सं.17] या [भाग बी-टीआई के भाग बी2 का क्र.सं.(13-14)] या [भाग बी-टीआई के भाग बी3 का क्र.सं.13] पर सामान्य दरों पर कर	1क”	
----	--	-----	--

[अधिसूचना सं. 94 /2023/फा.सं.370142/2/2023-टीपीएल-भाग (1)]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन:- यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है और पूर्व वर्ष 2022-2023 से सुसंगत निर्धारण वर्ष 2023-24 को लागू होता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि 786 (अ) तारीख 19 अक्टूबर, 2023 को किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2023

G.S.R. 813(E).—In exercise of the powers by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (Twenty-Seventh Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force from 1st day of April, 2023.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, in Form ITR-7, in PART-B for the assessment year commencing on the 1st day of April, 2023—

(a) in Part B—TI, the Part B1, for serial number 16 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be substituted, namely:—

“16	Specified income chargeable u/s 115BBI, included in 13, to be taxed @ 30% (Sl. No 7 of Schedule 115BBI)	16	
17	Aggregate income to be taxed at normal rates (13-14-15-16) (including income other than specified income under section 115BBI)	17”;	

(b) in Part B—TTI, against serial number 1, for item a and entries relating thereto, the following item and entries thereto, shall be substituted, namely:—

“a	Tax at normal rates on [Sl. No. 17 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. (13-14) of Part B2 of Part B-TI] OR [Sl. No. 13 of Part B3 of Part B-TI]	1a”.	
----	--	------	--

[Notification No. 94/2023/ F.No. 370142/2/2023-TPL-Part (1)]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.

Explanatory Memorandum: This amendment is effective from 1st day of April, 2023 and applies to assessment year 2023-24 relevant to the previous year 2022-23. It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification G.S.R.786(E), dated the 19th October, 2023.